पत्रांक 17 /पी0पी0ओ0

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

प्रेषक,

कृष्ण मुरारी सिन्हा,
पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),
बिहार, पटना।

सेवा में,

पुलिस उप-महानिरीक्षक(ड0नि0),
अपराध अनुसंधान विभाग,
बिहार, पटना।

g.T. manager
23.2.15

पटना, दिनांक- 20/02/2015

प्रसंग:- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का ज्ञापांक-320/गो0 दिनांक-16.11.2012 ।

विषय:- बिहार पुलिस के वेबसाईट पर पत्र के साथ संलग्न लघु निविदा को अपलोड करने के संबंध में।

....

महोदय,

निदेशानुसार उपरोक्त प्रासंगिक विषयक पत्र के आलोक में वितन्तु संगठन द्वारा लघु निविदा सूचना संख्या-01/2014-15 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना में भेजी गई है जिनकी छाया प्रति को वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई हेतु पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक:- यथोपरि

विश्वासभाजन,

20/02/15

(कृष्ण मुरारी सिन्हा),
पुलिस अधीक्षक(वितंतु),
बिहार, पटना।

पुलिस अधीक्षक (वितन्तु)
बिहार, पटना

R-945
23-2-15

1070/AD
23.2.15

बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय, बेली रोड, पटना

लघु निविदा सूचना सं0 01/2014-15

1.	विभाग का नाम:-	पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।
2.	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता:-	पुलिस अधीक्षक(वितंतु), बिहार, पटना । बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय, बेली रोड, पटना
3.	निविदा समर्पित करने की तिथि एवं समय:-	निविदा प्रकाशित होने की तिथि से किसी कार्य दिवस में दिनांक 09.03.2015 के 1500 बजे तक ।
4.	निविदा प्राप्ति का स्थान:-	टी0 एक्स0 भवन, बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय, राजवंशीनगर, पटना-23, विज्ञापनदाता का कार्यालय ।
5.	निविदा खोलने की तिथि:-	दिनांक 09.03.2015 को 1600 बजे ।
6.	अनुमानित राशि:-	रू0 पच्चीस लाख से उपर ।
7.	मद का नाम:-	(1) 800 vA UPS - 25 अदद । (2) 1.5 KVA Sine Wave Inverter with battery- 25 अदद । (3) Desktop Computer - 25 अदद । (4) Epson Scanner - 25 अदद । (5) Epson Computer Printer- 25 अदद ।

कंडिका 7 में वर्णित मदों में से कमांक 3, 4 एवं 5 का तकनीकी स्पेसिफिकेशन निविदा प्रकाशित होने की तिथि से किसी भी कार्य दिवस को बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय, राजवंशीनगर, पटना से प्राप्त की जा सकती है ।

निविदा के नियम एवं शर्त ।

(1) इस मद में निविदाएँ सिर्फ बिहार में स्थित इकाईयों/आपूर्तिकर्त्ता/विक्रेता या राज्य के बाहर उत्पादनरत इकाईयों के स्थानीय कारपोरेट कार्यालय/स्थानीय कार्यालय/एजेन्ट/ प्राधिकृत डीलर/विक्रेता/आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा ही दी जायेगी । लेकिन सफल निविदाकर्त्ताओं को क्रयादेश के पहले बिहार वाणिज्यकर में निबंधन का प्रमाण पत्र देना होगा ।

(2) निविदाकर्त्ता को बिहार वित्त नियमावली के नियम 131ञ के आलोक में दो बोली प्रणाली के तहत दो भागों में निविदा निम्नरूपेण देना होगा ।

(क) तकनीकी बोली जिसमें निम्न वर्णित वाणिज्यिक शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ सभी तकनीकी ब्यौरा शामिल रहेगा ।

(ख) वित्तीय बोली में तकनीकी बोली में शामिल की गयी इकाईयों का इकाईवार मूल्य दर्शाया जायेगा ।

(3) निविदा के तकनीकी बोली में (i) आयकर के अद्यतन रिटर्न की छाया प्रति, (ii) पैन नम्बर की छाया प्रति एवं (iii) चार्टड एकाउटेंट द्वारा तैयार किया गया निविदाकर्त्ता के फर्म का वार्षिक ऑडिटेड टर्न ओभर की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है । निविदा के इस भाग में फर्म द्वारा प्रस्तावित मदों की तकनीकी विवरणी, वाणिज्यिक शर्तों एवं प्रतिबंधों इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख करेंगे । दरों की वैद्यता 31 मार्च 2015

तक होगी । मद के लिए दी जानेवाली गारण्टी अवधि का भी उल्लेख निश्चित रूप से होना चाहिए । उपरोक्त सभी कागजातों को सीलबन्द लिफाफे में पुलिस अधीक्षक(वितंतु), बिहार, पटना के नाम से समर्पित करना होगा एवं सीलबंद लिफाफे पर तकनीकी निविदा एवं निविदा सूचना संख्या अंकित करना होगा ।

(4) वित्तीय बोली में मात्र उन सामानों के ही दर अंकित किए जाएंगे जिनका जिक्र तकनीकी बोली में फर्म द्वारा किया गया है । मद का इकाई दर, उनपर लगने वाले टैक्स तथा दर एवं टैक्स सहित नेट मूल्य अंकों एवं शब्दों में साफ-साफ अंकित करना होगा । अंकित दरों में कटिंग अथवा ओवरराइटिंग पाये जाने पर निविदा तत्क्षण रद्द कर दिया जायेगा । वित्तीय बोली सीलबंद लिफाफे में रहेगी तथा इस पर वित्तीय बोली, निविदा सूचना अंकित करना होगा ।

(5) तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के सीलबंद लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बंद कर सीलबंद करना होगा तथा उक्त लिफाफे पर वर्ष 2014-15 के लिए निविदा सूचना संख्या अंकित रहेगी । इस पर निविदाकर्त्ता अपने फर्म का नाम अंकित नहीं करेंगे ।

(6) तकनीकी बोली में सफल पाये गये निविदाकर्त्ताओं की ही निविदा की वित्तीय बोली खोली जायेगी ।

(7) मदों की आपूर्ति बिहार पुलिस रेडियो, टी0 एक्स0 भवन, बेली रोड, पटना में ली जाएगी । इसके लिए अलग से पैकिंग, फारवडिंग, इन्स्योरेंस अथवा भाड़ा देय नही होगा और न ही अग्रिम भुगतान का कोई प्रावधान है ।

(8) आपूरित मद तब तक प्राप्त नहीं समझा जाएगा जबतक कि बिहार पुलिस रेडियो संगठन तकनीकी जांचोपरान्त आपूरित मदों को ठीक नहीं पा लिया जाता है ।

(9) विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई आपूरित मदों को स्वीकार करने के बाद ही प्रारम्भ की जाएगी ।

(10) अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द घोषित कर दे ।

(11) आपूर्ति के उपरान्त तकनीकी जाँच में सामानों का ठीक पाये जाने के बाद ही विपत्र का भुगतान पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जायेगा ।

20/02/15

पुलिस अधीक्षक(वितंतु),
बिहार, पटना ।

पुलिस अधीक्षक (वितंतु)
बिहार, पटना